



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा

Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

Phone/ Fax:- 05962-23003

E-mail: eepdalmora@rediff.com

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd



पत्रांक 2887 / 50सी
सेवा में,

दिनांक 4 नवम्बर 2016

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत।

विषय: जनपद अल्मोड़ा में जाख से गणौऊ-दाड़िमी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.980 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं० 8बी०/यू०सी०पी०/०६/२१६/२०१५/एफ०सी०/२४५४ दिनांक २२.०२.२०१६।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत है।

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में पातन किये जाने वाले वृक्षों के 10गुना अर्थात् 1800 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु 18,00,000.00 (रु० अठारह लाख) मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में दिनांक 07.10.2016 को जमा करा दी गयी है(चालान की प्रति संलग्न है)।
1.1 पथ वृक्षारोपण योजना की धनराशि रु 17,26,560.00 (रु सत्रह लाख छब्बीस हजार पाँच सौ साठ) मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में दिनांक 07.10.2016 को जमा करा दी गयी है(चालान की प्रति संलग्न है)।
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि रु० 6,43,860.00 (रु छः लाख तैंतालीस हजार आठ सौ साठ) मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में दिनांक 07.10.2016 को जमा करा दी गयी है(चालान की प्रति संलग्न है)।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में यदि एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढोत्तरी होती है तो बढी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में पातन किये जाने वाले वृक्षों के 10गुना अर्थात् 1800 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु रु 18,00,000.00 (रु० अठारह लाख मात्र) मात्र, रिक्त पड़े स्थानों पर पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु 17,26,560.00 (रु० सत्रह लाख छब्बीस हजार पाँच सौ साठ) व एन०पी०वी० की धनराशि रु० 6,43,860.00 (रु छः लाख तैंतालीस हजार आठ सौ साठ) इस प्रकार कुल रु 41,70,420.00 (रु इकचालीस लाख सत्तर हजार चार सौ बीस) मात्र की धनराशि से कॉरपोरेशन बैंक में दिनांक 07.10.2016 को जमा करा दी गयी है(चालान की प्रति संलग्न है)।
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार 4-4 प्रतियों में।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

जाव के गणान

AGENCY COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 05-10-2016

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EXECUTIVE ENGINEER
PIF/Application No.	ROAD112002015158
Address.	Provincial Division P.W.D., Almora Almora
Remitter Contact No.	
Email-Id.	eepdalmora@rediffmail.com
Mobile No.	7533877888
Landline No.	5967-2370033
Amount(In Rs)	4170420/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words Forty One Lakh Seventy Thousand Four Hundred and Twenty Rupees Only

Depositor Signature
(Signatur)



Bank's Transaction Number, Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Cheques should only be accepted against INST/DI.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies n

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा में जाख से गणौऊ—दाड़िमी तक मोटर मार्ग लम्बाई—5.00 कि०मी०

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

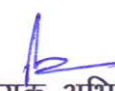
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा में जाख से गणौऊ-दाड़िमी तक मोटर मार्ग लम्बाई-5.00 कि०मी०

मार्ग के दोनों किनारों पर(जहाँ सम्भव हो) वृक्षारोपण किये का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा **Central Verge** पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में **Strip Plantation** किया जायेगा।




सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा